मंथन कमाँक–115 ''ज्ञान, बुद्धि, श्रम और शिक्षा''

1. ज्ञान और शिक्षा अलग–अलग होते है। ज्ञान स्वयं का अनुभवजन्य निष्कर्ष होता है तो शिक्षा किसी अन्य द्वारा प्राप्त होती है;
2. ज्ञान निरंतर घट रहा है और शिक्षा लगातार बढ रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में भी शिक्षा लगभग चार गुनी बढी है तो ज्ञान उसी मात्रा में कम हो गया है;
3. बुद्धि और विवेक में बहुत फर्क होता है। विवेक निष्कर्ष निकालता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। बुद्धि निष्कर्ष के आधार पर कार्य पूरा करने का माग तलाशती है;
4. विवेक और ज्ञान भी अलग–अलग होते है। ज्ञान सब प्रकार अच्छे–बुरे कार्यो के लाभहानि के अनुभव तक सीमित होता है तो विवेक करने योग्य और न करने योग्य कार्यो को अलग कर देता है;
5. शिक्षा हमेशा व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का विस्तार करती है चाहे व्यक्ति ज्ञान की दिशा में हो अथवा आपराधिक कार्यो में लिप्त हो। शिक्षा कभी चरित्र निर्माण का माध्यम नहीं होती, सिर्फ सूचना तक सीमित होती है;
6. हर बुद्धिजीवी समाज के समक्ष यह सिद्ध करता है कि शिक्षा का चरित्र निर्माण पर प्रभाव पडता है किन्तु यह बात गलत है;
7. शिक्षा पूरी तरह शासन मुक्त होनी चाहिये। शिक्षा पर सरकार को किसी प्रकार का कोई धन खर्च नहीं करना चाहिये क्योंकि शिक्षा अच्छे और बुरे दोनों की क्षमता के विस्तार में भेद नहीं करती;
8. ज्ञान के तीन स्रोत होते हैः–1. जन्म पूर्व के संस्कार 2. पारिवारिक वातावरण 3. सामाजिक परिवेश। परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को कमजोर करने के कारण पूरी दुनियां में और विशेषकर भारत में ज्ञान तेजी से घट रहा है;
9. पिछले कुछ हजार वर्षो से बुद्धिजीवियों ने भारत में श्रम शोषण के अनेक तरीके खोजे है। स्वतंत्रता के पूर्व जाति आरक्षण का सहारा लिया गया तो स्वतंत्रता के बाद शिक्षा विस्तार, जातीय आरक्षण तथा कृत्रिम उर्जा मूल्य नियंत्रण को आधार बनाया गया;
10. ज्ञान हमेशा सकारात्मक दिशा में निष्कर्ष निकालता है तो बुद्धि दोनो दिशाओं में चलायमान रहती है;
11. सरकार हमेशा श्रमजीवियों के पक्ष में दिखती है और रहती है हमेशा बुद्धिजीवियों के पक्ष में। साम्यवादी इस मामले ये सबसे अधिक सक्रिय रहते है बुद्धिजीवियों के पक्ष में और दिखते है श्रमजीवियों के साथ।
12. भीमराव अम्बेडकर की सभी नीतियां श्रमजीवियों के विरूद्ध और बुद्धिजीवियों के पक्ष में रही। आज भारत का हर अवर्ण या सवर्ण बुद्धिजीवी अम्बेडकर जी का प्रशंसक है;
13. भारत की सम्पूर्ण अर्थनीति गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी उत्पादकों के विरूद्ध पूंजीपति, शहरी बुद्धिजीवी उपभोक्ताओं के पक्ष में कार्य करती है;
14. शिक्षा को योग्यता और कार्यक्षमता विस्तार के माध्यम तक सीमित होना चाहिये था किन्तु भारत में शिक्षा योग्यता की जगह रोजगार के अवसर का माध्यम बन गयी है;
15. वर्तमान समय में बुद्धिजीवियों द्वारा श्रम के विरूद्ध किये जाने वाला षडयंत्र एक बहुत बडा अन्याय है। इसे प्राथमिकता के आधार पर समाधान की आवश्यकता है;
16. गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी तथा उत्पादकों को न्याय मांगने या न्याय के लिये संघर्ष करने की प्रेरणा देना असामाजिक कार्य माना जाना चाहिये। क्योंकि इससे वर्ग विद्वेष बढता है।
17. पूंजीपति, शहरी, बुद्धिजीवी तथा उपभोक्ताओं को शोषितों की सहायता के लिये प्रेरित करना, सामाजिक कार्य होगा। तात्कालिक रूप से सरकार को समझाना या मजबूर करना चाहिये;
18. भारत में अविकसित, अशिक्षित क्षेत्रों के निवासियों की तुलना में विकसित तथा शिक्षित क्षेत्रों के निवासियों में ज्ञान विवेक और नैतिकता का अधिक पतन हुआ है।

सम्पूर्ण समाज में स्वार्थ, हिंसा तथा अनैतिकता का विस्तार हो रहा है। शिक्षा व्यक्ति की क्षमता का विकास करती है। नैतिकता मात्र का नहीं। एक ही गुरू से एक साथ एक ही प्रकार की शिक्षा लेने वाले तो शिक्षार्थीयों में एक युधिष्ठिर तथा दूसरा दुर्योधन बन जाता है। स्पष्ट है कि शिक्षा का चरित्र निर्माण से कोई संबंध नहीं। यही कारण है कि ज्यों ज्यों भारत में शिक्षा का तेज गति से विस्तार हो रहा है उतनी ही तेज गति से स्वार्थ, हिंसा तथा अनैतिकता भी बढ रही है। दोनों का कोई संबंध नहीं है। आवश्यक नहीं कि चरित्र पतन के विस्तार में शिक्षा की कोई भूमिका रही हो किन्तु चरित्र पतन बढने के साथ–साथ यदि शिक्षा का विस्तार होता है तो चरित्र पतन की भी गति बढ जाती है। क्योंकि शिक्षा का विस्तार पतित चरित्र को अधिक प्रभावशाली बनाता है। भारत में यही हो रहा है।

जातीय आरक्षण के माध्यम से स्वतंत्रता के पूर्व सफलता पूर्वक श्रम शोषण किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद अम्बेडकर जी ने सवर्ण अवर्ण बुद्धिजीवियों का जातीय आरक्षण के माध्यम से समझौता कराकर श्रम शोषण जारी रखने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। साम्यवादियों ने कृत्रिम उर्जा को सस्ता रखने का दबाव बनाकर श्रमशोषण का एक और आधार बना दिया। सशक्त बुद्धिजीवियों ने सरकार पर दबाव डालकर शिक्षा का बजट बढवाया। यहॉ तक कि बुद्धिजीवियों ने गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी

एवं उत्पादकों की भी कोई परवाह नही की और उनके उत्पादन, उपभोग की वस्तुओं पर भारी कर लगा कर अपना वेतन, सुविधा, शिक्षा का बजट बढवाते रहे। निरंतर हो रही किसान आत्महत्या तथा उपभोक्ता वस्तुओं का लगातार सस्ता होना यह प्रमाणित करता है कि बुद्धिजीवियों का षडयंत्र सफल हो रहा है। साम्यवादियों ने बडी बेशर्मी से गरीब तबके को यह विश्वास दिलाया कि कृत्रिम उर्जा मूल्य नियंत्रण तथा शिक्षा का विस्तार ही उनके हित में है। बेचारे नैतिकता प्रधान गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, उत्पादक इन चालाक संगठित बुद्धिजीवियों पर विश्वास करके ठगे गये।

मैं मानता हूँ कि बडी संख्या में बुद्धिजीवी यह जानते ही नहीं कि वे श्रमजीवियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। वे भी यह समझते हैं कि सरकार की यह शिक्षा विस्तार, कृत्रिम उर्जा नीति श्रमिकों के हित में है। बडी संख्या में बुद्धिजीवी जानबूझकर ऐसा नहीं करते। यदि उन्हे यह पता चले कि वे अन्याय कर रहे हैं तो अनेक बुद्धिजीवी भी इसका समर्थन छोड देगे किन्तु उन्हें बताने वाला चाहिये। यह सच्चाई गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, उत्पादकों को बताना भी घातक है क्योंकि पहली बात तो यह है कि उन्हे संगठित गिरोहो ने भरपूर विश्वास दिला रखा है दूसरी बात यह भी है कि इससे वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष का खतरा बढ जायेगा। इसलिये बुद्धिजीवियों को ही सच्चाई बताने की जरूरत है। बडी संख्या में बुद्धिजीवी इस अनैतिकता को समझेगे और श्रम शोषण के विरूद्ध आपका साथ देंगे।

समस्या बहुत विकराल भी है और जटिल भी। समस्या विश्वव्यापी होते हुये भी भारत में बहुत बढी हुई है। इसके समाधान के लिये चौतरफा प्रयास करने होगे। शुरूआत सरकार पर दबाव बनाने से हो सकती है। 1. ज्ञान वृद्धि के लिये परिवार गांव और समाज व्यवस्था को अधिक निर्णय के अधिकार दिये जाने चाहिये क्योंकि ज्ञान के विस्तार में यही प्रमुख सहायक होते है; 2. शिक्षा को पूरी तरह स्वावलम्बी और शासन मुक्त होना चाहियें। शिक्षा पर होने वाला खर्च तथा उसकी नीति समाज संचालित होनी चाहिये, राज्य संचालित नहीं। 3. श्रम और बुद्धि के बीच वर्तमान आर्थिक असंतुलन बंद होना चाहिये। गरीब, ग्रामीण श्रमजीवी तथा उत्पादकों के उत्पादन और उपभोग की सभी वस्तुएं कर मुक्त होनी चाहियें। 4. पूंजीपतियों, शहरी आबादी बुद्धिजीवी तथा उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की आर्थिक सुविधा बंद की जानी चाहिये। रोजगार को श्रम के साथ जोडा जाना चाहिये और बौद्धिक रोजगार को बाजार पर स्वतंत्र कर देना चाहिये।

मेरा यह स्पष्ट मत है कि ज्ञान का घटना एक बहुत ही बडी समस्या है। इसके साथ ही श्रम के साथ अन्याय भी एक बडी समस्या के साथ–साथ अमानवीय कार्य भी है। इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

प्रश्नोत्तर

प्रश्न–1 वे प्रमुख कारण कौन से है जिनकी वजह से ज्ञान घट रहा है?

उत्तर–ज्ञान स्वयं का अनुभव होता है, शिक्षा, राजनैतिक व्यवस्था अथवा भय ज्ञान वृद्धि में सहायक नहीं। परिवार और समाज ज्ञान में सहायक होते हैं। परिवार और समाज व्यवस्था को कमजोर करके राज्य व्यवस्था का हावी होना ज्ञान घटने का मुख्य कारण है। परिवार और समाज सशक्तिकरण करके ज्ञान का विस्तार संभव है।

प्रश्न–2 क्या ज्ञान चरित्र निर्माण में सहायक होता है?

उत्तर– किसी कार्य के परिणाम से प्रभावित व्यक्ति और कर्ता के बीच दूरी जितनी कम होगी उतनी ही कार्य की गुणवत्ता बढती जायेगी। इस गुणवत्ता का चरित्र पर प्रभाव पडता है और कार्य की गुणवत्ता पर ज्ञान का प्रभाव पडता है। इसलिये चरित्र निर्माण में ज्ञान की भूमिका होती है।

प्रश्न–3 वे क्या कारण है जिनकी वजह से शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील नहीं बना पा रही है जबकि वह व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता का विस्तार करती है?

उत्तर–शिक्षा तो सिर्फ सूचना तक सीमित है। यदि सूचना ज्ञान में बदल जावें तो वह सकारात्मक दिशा में बढती है और तब ज्ञान और चरित्र मिलकर विवेक निर्माण करते हैं। ज्ञान का अभाव विवेक जागरण नहीं होने देता चाहे व्यक्ति कितना ही शिक्षित क्यों न हो। अनेक उच्च शिक्षित लोग ज्ञान विवेक या चरित्र शून्य होते हैं और अनेक अशिक्षित ज्ञानी विवेक पूर्ण चरित्रवान। शिक्षा तो सिर्फ गुण अवगुण का विस्तार कर सकती है, प्रवृत्ति में बदलाव नहीं कर सकती।

प्रश्न–4 श्रम शोषण के लिये क्या एक मात्र बुद्धिजीवी ही दोषी है?

उत्तर–श्रम शोषण में एकमात्र भूमिका बुद्धिजीवियों की है। श्रमजीवी तो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयत्नों तक सीमित है। राजनैतिक, सामाजिक व्यवस्था में उसकी भूमिका न के बराबर है। सारी व्यवस्था में भूमिका बुद्धिजीवियों की है इसलिये वही श्रम शोषण के जिम्मेदार हैं।

प्रश्न–5 भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और प्राचीन काल से ही इसकी अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही भी है फिर वे क्या कारण रहे कि भारत के वर्तमान शासकों की अर्थनीति गरीब, ग्रामीण श्रमजीवियों उत्पादको के विरूद्ध रही?

उत्तर– हमारे राजनेताओं ने स्वयं को प्रबंधक की जगह शासक मान लिया। श्रम शोषण के लिये आवश्यक था कि श्रम की मांग और मूल्य को न बढने दिया जाये। श्रमिकों का बडा भाग कृषि पर निर्भर था इसलिये श्रम प्रधान कृषि को अलाभकार बनाया गया।

प्रश्न–6 क्या शिक्षा का ज्ञान में कोई योगदान नहीं होता है?

उत्तर– ज्ञान की दिशा सिर्फ सकारात्मक होती है जबकि शिक्षा सकारात्मक भी हो सकती है नकारात्मक भी। शिक्षा एक प्रकार से सूचना मात्र होती है। शिक्षा का प्रभाव अच्छा बुरा हो सकता है।

प्रश्न–7 आप कैसे कह सकते है कि ज्ञान घट गया है?

उत्तर– भौतिक उन्नति का विस्तार और नैतिक पतन यह स्पष्ट करते है कि ज्ञान घट रहा है क्योंकि ज्ञान विवेक जागृत करता है और विवेक चरि.त्र निर्माण करता है जो नैतिकता में सहायक होता है।

प्रश्न–8 बुद्धि और विवेक में अंतर और स्पष्ट कीजिए?

उत्तर–विवेक निर्णय करता है कि क्या करना है और बुद्धि निर्णय करती है कि निर्णय लिये गये कार्य को कैसे करना है। किसी ने निर्णय किया कि दान देना है तो बुद्धि दान का मार्ग तलाशेगी। यदि व्यक्ति ने निर्णय किया कि लूटपाट करनी है तो बुद्धि मार्ग तलाशेगी किस तरह लूटपाट की जाये। व्यक्ति के किये गये निर्णय को बुद्धि कुशलतापूर्वक कियान्वित करने का मार्ग तलाशती है।

प्रश्न–9 क्या बुद्धि निष्कर्ष नही निकालती है?

उत्तर– बुद्धि भी निष्कर्ष निकालती है किन्तु वह सही दिशा में भी हो सकता है गलत दिशा में भी। विवेक सिर्फ सही निष्कर्ष निकालता है, गलत नहीं। बुद्धि स्वार्थ युक्त भी हो सकती है किन्तु विवेक नहीं हो सकता। विवेक का निष्कर्ष पूर्वाग्रह से प्रभावित भी हो सकता है और नहीं भी।

प्रश्न–10 आमतौर माना जाता है कि अच्छी शिक्षा नहीं होने के कारण चरित्र पतन हो रहा है। यदि चरित्र प्रधान शिक्षा दी जाये तो नैतिक पतन रूक सकता है?

उत्तर– आज तक किसी ने कोई ऐसा सिद्ध नहीं किया जिसे अच्छी शिक्षा कहा जा सके। क्योंकि शिक्षा सिर्फ सूचना का माध्यम है और माध्यम का कोई अच्छा बुरा पैमाना नहीं होता। गांधी जी की बुनियादी तालीम एक सही प्रयास था।

प्रश्न–11 ऐसी बात लोग क्या सोच कर करते है?

उत्तर– ऐसी बात या तो नासमझ लोग करते है अथवा चालाक लोग समाज को धोखा देने के लिए। आज तक शिक्षा का कोई ऐसा माध्यम नहीं बना जो चरित्र निर्माण में सहायक हो सका हो। क्योंकि शिक्षा चरित्र निर्माण का काम नहीं कर सकती।

प्रश्न–12 यदि शिक्षा पर प्रशासन खर्च नहीं करेगा तो शिक्षा कैसे आगे बढेगी?

उत्तर– समाज में दो प्रकार के लोग है श्रम जीवी और बुद्धि जीवी। श्रमजीवी हमेशा कमजोर होता है क्योंकि वह श्रम प्रधान होता है बुद्धि प्रधान नहीं। बुद्धिजीवी के पास श्रम के अवसर तो होते ही है साथ–साथ बुद्धि प्रधानता भी अतिरिक्त हो जाती है। स्वाभाविक है कि श्रमजीवी सहायता का पात्र है बुद्धिजीवी नहीं। शिक्षा श्रम सहायक न होकर बुद्धि सहायक होती है इसलिए सरकार को या तो किसी की सहायता नहीं करनी चाहिये अथवा यदि करनी ही हो तो श्रमजीवी की करनी चाहिए। बुद्धि जीवी की सहायता करना पक्षपात पूर्ण है।

प्रश्न–13 यह सही है कि परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था कमजोर हो रही है किन्तु इसमें शासन का क्या दोष है?

उत्तर– परिवार और समाज के आंतरिक मामलों में शासन को न कोई हस्तक्षेप करना चाहिये न ही कानून बनाना चाहिये। यदि आप परिवार और समाज को किसी भी प्रकार का कोई निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक नहीं लेने देगे और सारे निर्णय सरकार स्वयं करेगी तो स्वाभाविक है कि परिवार और समाज की निर्णय करने की शक्ति प्रभावित होगी।

प्रश्न–14 क्या स्वतंत्रता के पूर्व भी जातीय आरक्षण था?

उत्तर–कई हजार वर्षो से जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था समाज पर थोप दी गई थी। यह बुद्धिजीवियों द्वारा श्रम शोषण षडयंत्र था। स्वतंत्रता के बाद की आरक्षण व्यवस्था भी उसी तरह बुद्धिजीवियों द्वारा नये स्वरूप में श्रम शोषण का कार्य कर रही है।

प्रश्न–15 क्या शिक्षा विस्तार भी श्रम शोषण का आधार है?

उत्तर– श्रम शोषण में लिप्त व्यवस्था यदि शिक्षा विस्तार करती है तो शिक्षा श्रम शोषण में सहायक होती है। यदि व्यवस्था श्रम सहायक होगी तब शिक्षा विस्तार भी श्रम के साथ न्याय में सहायक होगा। शिक्षा स्वयं में न शोषक होती है न सहायक। शिक्षा तो व्यक्ति की कार्य क्षमता बढाती है। उसका श्रम शोषण या न्याय से कोई संबंध नहीं।

प्रश्न–16 आप कैसे कह सकते है कि साम्यवादी श्रमजीवियों के लिये संघर्ष नहीं करते?

उत्तर– हर साम्यवादी जानता है कि कृत्रिम उर्जा का सस्ता होना पूंजीवाद के विस्तार में सहायक है फिर भी वह कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि का विरोध करता है। यहां तक कि अन्य सब की अपेक्षा साम्यवादी इस मामले में सबसे आगे होता है।

प्रश्न–17 यदि साम्यवादी श्रम का मूल्य नहीं बढने देते तो उनका उद्देश्य क्या है?

उत्तर– यदि श्रम का मूल्य बढ जायेगा तो श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के बीच का वर्ग संघर्ष समाप्त हो जायेगा। साम्यवाद वर्ग संघर्ष विस्तार पर ही जीवित रहता है इसलिये साम्यवादी कभी नही चाहता कि श्रम का मूल्य बढे। वैसे तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहती। क्योंकि सरकारें बुद्धिजीवियों से डरती है और उन्हीं की सहायता से चलती है। किसी सरकार की यह हिम्मत नहीं कि वह कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढा दे।

प्रश्न–18 अनेक सवर्ण बुद्धिजीवी अम्बेडकर के आलोचक है इस संबंध में आपका क्या कहना है।?

उत्तर– श्रम शोषण के मामले में सभी बुद्धिजीवी एकजुट है चाहे सवर्ण हो या अवर्ण। बुद्धि का मूल्य बढे और श्रम का न बढे इस मामले में सभी एक जुट है। यह अवश्य है कि जब अवर्ण बुद्धिजीवी और सवर्ण बुद्धिजीवी के बीच तुलना होती है तब सवर्ण बुद्धिजीवी अम्बेडकर की आलोचना करते है। आप किसी भी सवर्ण नेता को कभी नहीं पायेगे कि वह अम्बेडकर की वास्तविक समीक्षा करें। यदि वर्तमान समय में किसी को सर्वश्रेष्ठ घोंषित करना हो तो अम्बेडकर का नाम उस सूची में अवश्य शामिल होगा। जबकि अम्बेडकर ने श्रमजीवियों के साथ बहुत धोखा किया है।

प्रश्न–19 अम्बेडकर जी ने श्रमजीवियों के साथ क्या धोखा किया?

उत्तर– अम्बेडकर जी जानते थे कि भारत के 95 प्रतिशत अवर्ण श्रमजीवी है बुद्धिजीवी नही ंतो उन्होंने श्रमजीवियों की चिंता छोडकर बुद्धिजीवियों के आरक्षण की पहल क्यों की। आज भी 95 प्रतिशत अवर्ण श्रमजीवी उसी खराब हालात में है और 5 प्रतिशत बुद्धिजीवी अवर्ण सवर्णो से भी आगे निकल रहे है। यह धोखा नहीं है तो क्या है।

प्रश्न–20 क्या भारत की संपूर्ण अर्थनीति अन्याय पूर्ण है?

उत्तर– यदि गरीब ग्रामीण श्रमजीवी उत्पादकों से भारी टैक्स वसूल कर शिक्षा पर खर्च किया जाता है तो यह अन्याय राज्य क्यों कर रहा है। क्यों नहीं शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च पूंजीपति शहरी शिक्षा प्राप्त उपभोक्ताओं से वसूल किया जाये। किसी सरकार में ऐसी हिम्मत नहीं है कि वह कमजोरों पर टैक्स माफ करके मजबूतों पर लगा दे अथवा शिक्षा का बजट बन्द करके कमजोरो पर टैक्स माफ कर दे।

प्रश्न–21 शिक्षा को रोजगार माध्यम क्यों नहीं होना चाहिए?

उत्तर– श्रम का शोषण करके शिक्षा को रोजगार का माध्यम बनाने में सरकारी सहायता पूरी तरह अन्याय है रोजगार का पहला माध्यम श्रम बनना चाहिए और शिक्षा को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए न कि श्रम शोषण।

प्रश्न–22 आप इसका क्या समाधान सोचते है?

उत्तर– गरीब ग्रामीण श्रमजीवी पर सब प्रकार के टैक्स समाप्त कर दिये जाये। जिससे इन सबका जीवन स्तर स्वयं सुधर जाए और वे स्वयं शिक्षा प्राप्त कर सके। 2. शिक्षा को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया जाये और वह सारा बजट श्रम की मांग बढे इस दिशा में खर्च करे।3. सभी प्रकार के आरक्षण समाप्त कर दिये जाये। यदि ऐसा न संभव हो तो गरीबी रेखा के नीचे तक आरक्षण सीमित कर दिया जाये। 4. श्रम का सरकारी मूल्य कम कर दिया जाये जिससे श्रम की मांग बढे। 5. कृत्रिम उर्जा का मूल्य ढाई गुना कर दिया जाये और प्राप्त धन पूरी आबादी में बराबर बराबर बांट दिया जायें।

प्रश्न–23 जब बुद्धिजीवी कुछ समझता ही नहीं है तो श्रमजीवी को न्याय के लिये जागृत करना कैसे गलत है?
उत्तर– श्रमजीवी को जागृत करना वर्ग संघर्ष का आधार होता है। बुद्धिजीवियों का बहुत बडा समूह अज्ञान वश श्रमशोषण का सहायक है। शोषण कोई अपराध नहीं होता सिर्फ अनैतिक होता है। इसलिए बुद्धिजीवियों के अंदर न्याय और दया का भाव जागृत करना चाहिए।

प्रश्न–24 यह कार्य कौन करेगा?
उत्तर– हमारे साथी यह कार्य कर रहे है यद्यपि सभी बुद्धिजीवी है। आप भी अपनी भूमिका तय कीजिए।

प्रश्न–25 आपने जो लिखा है वह सही है किन्तु इसका कारण क्या है?
उत्तर– शिक्षा को चरित्र का आधार मानना और उसका अंधाधुंध विस्तार इसका कारण है। ज्ञान और शिक्षा को समान रूप से विकसित होना चाहिए। यदि ज्ञान घटेगा और शिक्षा बढेगी तो असंतुलन पैदा होगा। जैसा अभी हो रहा है।

प्रश्न–26 इसमें शिक्षा का दोष क्या है?
उत्तर– यदि अनैतिकता बढ रही है और साथ–साथ शिक्षा भी बढ रही है तो अनैतिकता की वृद्धि दर बहुत अधिक हो जाती है।

प्रश्न–27 क्या इसमें अम्बेडकर जी की नीयत खराब थी?
उत्तर– अम्बेडकर एक बुद्धिजीवी थे स्वार्थी राजनेता थे। कोई समाज सेवी नहीं। यहीं कारण है कि अम्बेडकर ने जीवनभर समाजसेवी गांधी की नीतियों का विरोध किया। स्वार्थ और समाज सेवा एक साथ नहीं चल सकते।

प्रश्न–28 क्या साम्यवादियों ने भूल वश ऐसा किया या जानबूझकर?
उत्तर– साम्यवाद कभी समाज सेवा का आधार नही रहा बल्कि राजनैतिक सत्ता की प्रतिस्पर्धा का आधार रहा है स्वाभाविक है कि साम्यवादियों को भी झूठ छल प्रपंच का सहारा लेना पडा।

प्रश्न–29 क्या परिवार गांव समाज को निर्णय की स्वतंत्रता के लिए सरकार सहमत होगी?
उत्तर– संपूर्ण बुद्धिजीवियों में सरकार से जुडे लोगो का प्रतिशत दो तीन से अधिक नहीं है। इसलिए अन्य बुद्धिजीवी इस दिशा में सहमत हो सकते है।

प्रश्न–30 क्या शिक्षा स्वतंत्र और स्वावलम्बी हो सकती है?
उत्तर– हम आप इस न्यायपूर्ण विचार को स्थापित करने का विचार करे परिणाम की चिंता न करे।

प्रश्न–31 यदि सरकार यह टैक्स नहीं लेगी तो उसका खर्च कैसे चलेगा?
उत्तर– सरकार शिक्षा का बजट बंद कर दे साथ ही शहरों पर खर्च नगर पालिका नगरनिगम के जिम्मे दे दें ।

प्रश्न–32 रोजगार को श्रम के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है?
उत्तर– कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्य वृद्धि कर देने से रोजगार और श्रम एक साथ जुड़ जायेगे। श्रम की मांग बढ़ जायेगी और उसका मूल्य बढ जायेगा।
प्रश्न–33 सरकार कृत्रिम उर्जा का मूल्य क्यों नहीं बढाती है?
उत्तर– कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढाने से पूंजीपति, बुद्धिजीवी, शहरी, उपभोक्ता नाराज हो जायेगा। साथ ही खाडी देश भी नाराज हो जायेगे और विदेश नीति पर प्रभाव पड़ेगा। यह कदम पूंजीवाद के पूरी तरह विरोध होगा और दुनियां के पूंजीवादी देश भी इसका समर्थन नहीं करेंगे। इस कदम से श्रमजीवियों के साथ न्याय तो होगा किन्तु प्रारंभ में विकास दर पर बुरा असर पडेगा इसलिए कोई सरकार ऐसा नहीं करना चाहेगी।

मंथन कमाँक–116 ''मानवाधिकार''

1. व्यक्ति के अधिकार तीन प्रकार के होते है 1. प्राकृतिक अथवा मौलिक 2. संवैधानिक 3. सामाजिक। मौलिक अधिकारो को ही प्राकृतिक अथवा मानवाधिकार भी कहा जा सकता है;
2. मानवाधिकार सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर सृष्टि के समापन तक स्थिर होते है। उनमें कभी कोई बदलाव नहीं आता;

3. मानवाधिकार का उल्लंघन अपराध, संवैधानिक अधिकारो का उल्लंघन गैरकानूनी तथा सामाजिक अधिकारो का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है;
4. प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारो की सुरक्षा समाज का दायित्व होता है, स्वैच्छिक कर्त्तव्य मात्र नहीं;
5. प्रत्येक व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता उसका मौलिक अधिकार है। कोई भी अन्य इस स्वतंत्रता की सीमा नहीं बना सकता;
6. प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था में सहभागी होना उसके लिये बाध्यकारी है। सामाजिक व्यवस्था के समक्ष सम्पूर्ण समपर्ण उसकी मजबूरी है;
7. परिवार सामाजिक व्यवस्था की प्रथम तथा विश्व समाज व्यवस्था की अंतिम इकाई है। प्रत्येक व्यक्ति को असीम स्वतंत्रता प्राप्त है जो उसे अपनी स्वेच्छा से परिवार के साथ जोडनी आवश्यक है;
8. मानवाधिकार व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता है और सहजीवन उसके अधिकारों का पूर्ण समर्पण। सहजीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिये बाध्यकारी है, स्वैच्छिक नहीं;
9. दुनियां में किसी भी व्यक्ति के लिये अकेला रहना न संभव है न उचित। यदि कोई व्यक्ति दूसरो की सुरक्षा में भागीदार नही बनना चाहता तो कोई अन्य उसकी सुरक्षा की गांरटी क्यो लेगा;
10. व्यक्ति का सिर्फ एक ही प्राकृतिक अधिकार होता है असीम स्वतंत्रता तथा एक दायित्व होता है सहजीवन। स्वतंत्रता के चार भाग है 1. जीवन की 2. अभिव्यक्ति की 3. सम्पत्ति की 4. स्वनिर्णय की। सहजीवन के तीन भाग है 1. पारिवारिक 2. स्थानीय 3. राष्ट्रीय।
11. किसी भी इकाई में सम्पूर्ण समर्पण के बाद भी व्यक्ति की ईकाई से अलग होने की स्वतंत्रता हमेशा सुरक्षित रहती है। किसी भी परिस्थिति में किसी समझौते के अंतर्गत संबंध विच्छेद की स्वतंत्रता में कटौती नही की जा सकती;
12. परिवार, गांव, राष्ट्र आदि इकाईयां समाज व्यवस्था की ईकाईयां मानी जाती है। किसी भी व्यक्ति की उसकी सहमति के बिना राज्य भी अपने साथ जुडकर रहने के लिये बाध्य नहीं कर सकता;
13. कोई भी संविधान व्यक्ति को मौलिक अधिकार न दे सकता है और न ले सकता है। संविधान उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा की गांरटी मात्र देता है। चाहे संविधान परिवार का हो स्थानीय हो अथवा राष्ट्रीय;
14. प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों की सुरक्षा समाज व्यवस्था का दायित्व है। मनमाने तरीके से बने मानवाधिकार संगठन विश्व में और विशेषकर भारत में मानवाधिकार के नाम पर दुकानदारी चलाते है। उनका मानवाधिकार से कोई संबंध नहीं है;
15. सभी मानवाधिकार संगठनों का भारत में रिकार्ड बहुत खराब है। इन्हें निरूत्साहित करना चाहिये;
16. सिर्फ मनुष्य को ही मानवाधिकार प्राप्त हैं, पशु, पक्षी, पेड–पौधों को यह अधिकार प्राप्त नही है;
17. समाज संपूर्ण विश्व का एक होता है। समाज राष्ट्रों या समूहों का संघ नहीं हो सकता। समाज सिर्फ व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार समान होते है;
18. व्यक्ति चाहे कितना भी अधिक शक्तिशाली क्यों न हो, व्यवस्था हमेशा उसके उपर होती है। दुर्भाग्य से व्यवस्था के उपर व्यक्ति बनाये जा रहे है जो गलत है;
19. दुनियां में यह भ्रम फैला हुआ है कि राष्ट्र सम्प्रभुता सम्पन्न इकाई है जो मौलिक अधिकारों में फेरबदल कर सकती है। यह भ्रम दूर होना चाहिये;
20. इस्लाम और साम्यवाद घोषित रूप से मौलिक अधिकारों को अस्वीकार करते है। इस्लाम और साम्यवाद का अस्तित्व समाज के लिये सबसे बडा संकट है। पूरी दुनियां को चाहिये कि इन दो विचारधारा के लोगों को या तो सामाजिक व्यवस्था मानने के लिये सहमत करे या बाध्य करे;
21. मानवाधिकार की सुरक्षा के लिये सबसे पहला काम इस्लामिक तथा साम्यवादी विचारों पर दबाव बनाना है;
22. कोई बडे से बडा अपराधी भी समाज व्यवस्था की सहभागिता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ हुआ कि किसी दण्ड प्राप्त अपराधी को भी किसी कानून के अंतर्गत संसद की सहभागिता से तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक संसद संविधान संशोधन की अन्तिम अधिकार प्राप्त इकाई है;
23. समानता की सिर्फ एक परिभाषा होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त समानता की सारी परिभाषायें असमानता पैदा करती है। समानता के नाम पर असमानता पैदा करके वर्ग विद्वेष बढाना राजनीति का मुख्य आधार है।

वैसे तो सारी दुनियां में मानवाधिकार के विषय में स्पष्ट धारणा का भाव है किन्तु भारत में यह अभाव बहुत व्यापक है। आमतौर पर यह धारणा बनी हुयी है कि संविधान मौलिक अधिकार देता भी है और ले भी सकता है। आम लोग कहते हैं कि संसद को संविधान संशोधन के असीम अधिकार होने चाहिये और अपराधियों को संसद प्रवेश से वंचित किया जाना चाहिये। अच्छे–अच्छे विद्वान भी यह बात ठीक से नही समझ पाते है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार क्या है जिनमें उसकी सहमति के बिना कोई कटौती नहीं हो सकती। अनेक नासमझ तो राष्ट्र को अंतिम इकाई मान लेते है तथा समाज को राष्ट्र से नीचे सिद्ध करते रहते है। कई नासमझ तो व्यक्ति की अभिव्यक्ति की अथवा सम्पत्ति की अधिकतम सीमा भी बनवाने का

प्रयास करते रहते है जबकि अभिव्यक्ति अथवा सम्पत्ति की कोई सीमा या तो व्यक्ति स्वयं की मर्जी से बना सकता है अथवा विश्व समाज की व्यवस्था से। वैसे तो किसी व्यक्ति को दंड देना भी विश्व व्यवस्था के कानूनों के अंतर्गत ही होना चाहिये। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत दुनियां के साथ–साथ भारत भी न्यायपालिका का यह दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के विरूद्ध किये गये किसी संविधान संशोधन को रद्द कर दे। मुस्लिम और साम्यवादी देशो को छोडकर दुनियां भर के न्यायालय इस दायित्व से बंधे है। यही कारण है कि इस्लामिक साम्यवादी विचारधारा दुनियां के मानवाधिकार के लिये सबसे बडा खतरा है। सबसे पहले इस विचारधारा से निपटना चाहिये।

यह बात भी विचारणीय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी अन्य के साथ सहजीवन शुरू करना उसकी बाध्यता है, स्वतंत्रता नहीं। कोई व्यक्ति इस बाध्यता से इंकार नही कर सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की सुरक्षा में भागीदारी नहीं कर सकता है तो समाज उसकी स्वतंत्रता की गारंटी क्यो दे। इसलिये यह धारणा भी गलत है कि व्यक्ति अकेला रह सकता है। यह धारणा भी गलत है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार समय–समय पर कम ज्यादा होते रहे है। मेरे विचार से सृष्टि के प्रारम्भ से अंत तक मानवाधिकार समान है। भारत में मानवाधिकार के नाम पर ब्लैकमेल करने वालो की बाढ सी आयी हुयी है। मानवाधिकार के नाम पर अपराधियों के पक्ष में खड़ा होना तथा राज्य को कटघरे में खड़ा करना एक प्रकार का व्यवसाय बन गया है। इस तरह के व्यवसायियों से भी समाज को मुक्त करना चाहिये। जिस तरह समाज में एकात्ममानववाद के नाम पर किसी विचारधारा को प्रश्रय दिया जा रहा है उससे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि एकात्ममानववाद के साथ–साथ सर्वात्ममानववाद की चर्चा आगे बढ़ायी जाये जिस पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर्वात्ममानववाद अधिक महत्वपूर्ण है।

मानवाधिकार संरक्षण तथा सहजीवन का तालमेल आवश्यक है। इसके लिये हमें कुछ कदम उठाने चाहिये।

1. विश्व संविधान बनना चाहिये जिसके निर्माण में दुनियां के प्रत्येक व्यक्ति की बराबर भूमिका हो;
2. भारत के संविधान में भारत के प्रत्येक व्यक्ति की समान भूमिका होनी चाहिये;
3. परिवार और गांव व्यवस्था को स्वतंत्र अधिकार दिये जाने चाहिये जिससे कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक परिवार से निकल सके। इसी तरह राष्ट्रीय व्यवस्था को भी यह स्वीकार करना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति कभी भी देश छोड़कर तब तक जा सकता है जब तक उसने कोई अपराध नहीं किया हैं।

भारत सरकार को यह स्वीकार करना चाहिये कि वह इस्लामिक या साम्यवादी व्यवस्था का अंग न होकर लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग है। उसे लोकतांत्रिक विश्व का पूरा–पूरा सम्मान और सहभागिता करनी चाहिये। मानवाधिकार संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति का महत्वपूर्ण दायित्व है और इस दायित्व को हम सबको पूरा करना चाहिये।

प्रश्नोत्तर

प्रश्न–1 पारिवारिक अधिकारों को किस श्रेणी माना जायेगा?

उत्तर– परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था की पहली इकाई है। परिवार का भी अपना एक संविधान होता है।

प्रश्न–2 ऐसे कौन से अधिकार है जिनमें कभी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता?

उत्तर– व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कभी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा के विरूद्ध उसकी स्वतंत्रता पर आक्रमण करता है तभी किसी की स्वतंत्रता में कटौती की जा सकती है अन्यथा नहीं।

प्रश्न–3 क्या संवैधानिक तथा सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन अपराध नहीं है?

उत्तर– मौलिक अधिकारों को छोडकर अन्य किसी भी अधिकार का उल्लंघन अपराध नहीं होता है।

प्रश्न–4 भारत में तो न्यायालय भी मानता है कि कानून का उल्लंघन अपराध है?

उत्तर– यदि न्यायालय समाजशास्त्र नहीं जानता तो मैं क्या करूँ? अपराध गैरकानूनी और अनैतिक अलग–अलग होता है। यह बात न्यायालय को भी सीखनी चाहिये।

प्रश्न–5 दायित्व और कर्त्तव्य में क्या अंतर होता है?

उत्तर– दायित्व बाध्यकारी होते है और कर्त्तव्य स्वैच्छिक। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आक्रमण होता है तब समाज का दायित्व होता है कि वह उसकी रक्षा करे।

प्रश्न–6 समाज किस तरह उसकी रक्षा कर सकता है?

उत्तर– समाज ऐसे आक्रमण से बचाव के लिये एक संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण करता है जिसे सरकार कहते है।

प्रश्न–7 क्या कोई सरकार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा नहीं बना सकती?
उत्तर– जब कोई भी अन्य कोई सीमा नहीं बना सकता तो सरकार को भी यह अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की अंतिम सीमा वह मानी जाती है जहॉ से किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा प्रारंभ होती है।

प्रश्न–8 जब व्यक्ति द्वारा संपूर्ण समर्पण उसकी मजबूरी है तब उसकी स्वतंत्रता का क्या महत्व है?
उत्तर– प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह किसके साथ जुडे और कब तक जुडा रहे। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी संगठन को छोड सकता है।

प्रश्न–9 यदि कोई परिवार छोडना चाहे तो क्या उसे सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है?
उत्तर–मेरे विचार से ऐसे कानून बिल्कुल गलत हैं कोई भी कानून किसी को परिवार छोडने से रोकता है तो वह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है अर्थात अपराध है।

प्रश्न–10 किसी व्यक्ति को अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता परिवार के साथ जोडनी आवश्यक क्यों है?
उत्तर– परिवार एक संगठनात्मक इकाई है प्राकृतिक नहीं। जब आप किसी संगठन से जुड़ते है तो संगठन के नियम कानून आपके लिए बाध्यकारी होते है। आपको संगठन छोड़ने की स्वतंत्रता होती है। परिवार एक ऐसी इकाई है जिसमें संपूर्ण समर्पण अनिवार्य है।

प्रश्न–11 सहजीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिये बाध्यकारी क्यों है?
उत्तर–मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक जन्म लेता है किन्तु जन्म लेते ही वह समाज का अंग बन जाता है। समाज से जुड़ते ही उसके लिये सहजीवन बाध्यकारी हो जाता है।

प्रश्न–12 कोई व्यक्ति यदि अकेला रहना चाहता है तो इसमें गलत क्या है?
उत्तर– जब किसी व्यक्ति को समाज से सुरक्षा की गांरटी चाहिये तो उसे समाज के साथ जुड़ना ही पड़ेगा और दूसरों को यह गांरटी भी देनी पड़ेगी। यह कैसे संभव है कि दूसरे लोग आपकी सुरक्षा करे और आप दूसरों की सुरक्षा में भागीदार न हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़कर परिवार बनाना अनिवार्य है। यह अनिवार्यता ही सहजीवन है।

प्रश्न–13 क्या प्रत्येक व्यक्ति तीनों प्रकार के सहजीवन में भाग लेगा?
उत्तर– यदि तीनों के अलग–अलग संविधान है तो प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अलग–अलग होनी चाहिये।

प्रश्न–14 यदि कोई व्यक्ति परिवार से जुड़ते समय ही समझौता कर ले कि वह एक वर्ष तक परिवार नहीं छोड़ सकता। तब उसे स्वतंत्रता है कि नहीं?
उत्तर– ऐसा कोई समझौता यदि है तब भी गलत है। व्यक्ति कभी भी परिवार छोड़ सकता है और उपर वाली व्यवस्था उसकी समीक्षा कर सकती है कि उसने समझौते का कितना उल्लंघन किया है। उपर वाल व्यवस्था उसे समझौता तोडने के लिए दंडित कर सकती है किन्तु समझौता मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है।

प्रश्न–15 क्या कोई व्यक्ति किसी गांव में आकर रहना चाहता है तो उसे गांव की स्वीकृति चाहिये कि नहीं?
उत्तर– मेरे विचार से तो किसी भी इकाई में नये व्यक्ति के प्रवेश के लिये प्रवेश करने वाले और प्रवेश देने वाले दोनों की स्वीकृति चाहिये। जिस तरह परिवार और राष्ट्र मे स्वीकृति आवश्यक है उसी तरह गांव की भी स्वीकृति आवश्यक है।

प्रश्न–16 क्या पूरी दुनियां में कहीं ऐसी मान्यता है जैसे आप लिख रहे है?
उत्तर– मैं जानता हूॅ कि अभी दुनियां में ऐसी मान्यता नहीं है। दुनियां में यह माना जाता है कि संविधान मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है। मेरे विचार से यह मान्यता गलत है क्योंकि मौलिक अधिकार प्राकृतिक होते है संवैधानिक नहीं।

प्रश्न–17 क्या आप सभी मानवाधिकार संगठनों के विषय में यह आरोप लगा रहे है?

उत्तर–सरकार के तरफ से यदि कोई मानवाधिकार संगठन बना है तो उस पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता किन्तु कोई एनजीओ या अन्य ब्लैकमेल करने वाले लोगो ने अगर अपनी दुकान खोल रखी है तो अवश्य ही आरोप लगेगें।

प्रश्न–18 ऐसे मानवाधिकार संगठनो को कैसे निरूत्साहित किया जा सकता है?
उत्तर–उन्हें सामाजिक आधार पर सम्मान देना बंद कर देना चाहिये। सरकार को उनसे दूरी बना लेनी चाहिये।

प्रश्न–19 क्या पशुओं को मानवाधिकार प्राप्त नहीं है?
उत्तर– पशुओं को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सकता है किन्तु मानवाधिकार नहीं। पशुओं का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
प्रश्न–20 क्या प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार समान होते है चाहे वह किसी भी देश का हो?
उत्तर–प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकार समान होते है। देश काल परिस्थिति से उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकार कम ज्यादा नहीं हो सकते। संवैधानिक अधिकार और सामाजिक अधिकार कम ज्यादा हो सकते है।

प्रश्न–21 यदि व्यवस्था सबसे उपर होती है तब व्यवस्था बनती कैसे है और उस पर नियंत्रण कैसे होता है?
उत्तर– व्यक्ति पर नियंत्रण होता है व्यवस्था का, व्यवस्था पर संविधान का और संविधान पर व्यक्ति समूह का। यह बात न समझने के कारण व्यक्ति समूह पर संविधान नियंत्रण कर रहा है और संविधान पर संसद और कभी–कभी संसद की जगह कुछ व्यक्ति भी।

प्रश्न–22 क्या राष्ट्र सम्प्रभुता सम्पन्न इकाई नहीं है?
उत्तर– राष्ट्र सम्पूर्ण समाज का एक भाग होता है सम्प्रभुता सम्पन्न नहीं। राष्ट्र सम्पूर्ण विश्व की बात माननी चाहिये।

प्रश्न–23 क्या इस्लाम और साम्यवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं मानते?
उत्तर–जी हॉ ये दोनो ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं मानते। इस्लाम व्यक्ति को धार्मिक सम्पत्ति मानता है तो साम्यवाद राष्ट्रीय सम्पत्ति। लोकतंत्र व्यक्ति को सामाजिक सम्पत्ति मानता है और उसके मानवाधिकार की सुरक्षा की गारंटी देता है।

प्रश्न–24 यह दबाव कैसे बनाया जा सकता है?
उत्तर– सारी दुनियां के लोकतांत्रिक देशों को यह समझना चाहिये की यह दोनों मानवाधिकार विरोधी है। धीरे–धीरे जनमत बनेगा और इनपर प्रभाव पडेगा।

प्रश्न–25 कोई दंड प्राप्त अपराधी संसद में कैसे संसद सदस्य हो सकता है?
उत्तर– यदि संसद को संविधान संशोधन के अधिकार प्राप्त है तो संविधान निर्माण और संशोधन की भूमिका से किसी वंचित नही किया जा सकता। संविधान और कानून अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति की सहमति माने जाते है। जब प्रत्येक व्यक्ति की सहमति से व्यवस्था बनी है तभी उस व्यवस्था द्वारा घोषित दंड उसे अपराधी सिद्ध करेगा। यदि व्यवस्था में उसकी सहमति ही नहीं है तो ऐसी व्यवस्था किसी को दंडित नहीं कर सकती। इसलिये संविधान सबसे उपर है और संविधान व्यक्ति समूह का प्रतिनिधित्व करता है चाहे कोई व्यक्ति अपराधी ही क्यों न हो। आप संविधान से हटकर किसी को दंडित नहीं कर सकते।

प्रश्न–26 आमतौर पर अन्ना हजारे सहित सब लोग कहते है कि संसद से अपराधियों को बाहर कर दिया जाये?
उत्तर– कानून बनाने के और कियान्वयन से अपराधियों को बाहर किया जा सकता है किन्तु संविधान संशोधन या निर्माण से नहीं। यदि अन्ना जी या अन्य लोग इस बात से अनभिज्ञ है तो इस संबंध में बैठकर चर्चा होनी चाहिये।

प्रश्न–27 क्या आप समानता के विरूद्ध है?
उत्तर– भारत में पूरी तरह राजनैतिक असमानता बढ रही है। राज्य समाज के आंतरिक मामलों में इस तरह हस्तक्षेप कर रहा है कि व्यक्ति लगभग गुलाम हो गया है। यह असमानता घटनी चाहिये। इस असमानता के विषय में चुप रहकर जो लोग असमानता की चर्चा करते है और राजनीति में भाग भी लेते है। ऐसे लोगों की नीयत खराब है। ऐसे लोगो का बहिष्कार होना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकार अर्थात मौलिक अधिकार पूरी तरह समान होते है जो कभी उपलब्ध नही है। इसलिये यह समानता अधिक महत्वपूर्ण है।

प्रश्न–28 आपके विचार में इसका क्या समाधान है?

उत्तर–1. जो समूह मानवाधिकार पर विश्वास नहीं करते उनका बहिष्कार होना चाहिये। 2. पूरी दुनियां का एक संविधान होना चाहिये जिसमें दुनियां के प्रत्येक व्यक्ति की समान भूमिका हो। 3. भारतीय संविधान निर्माण और संशोधन में प्रत्येक भारतीय की बराबर भूमिका होनी चाहिये। 4. परिवार और गांव को अपना स्थानीय संविधान बनाने और क्रियान्वित करने की छूट होनी चाहिये। इस संविधान में उसके अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका बराबर हो। 5. यदि कोई व्यक्ति परिवार गांव या देश छोडकर जाना चाहता है तो उसे तब तक जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिये जब तक उसने कोई अपराध न किया हो। 6. प्रत्येक इकाई को विश्व व्यवस्था के साथ तालमेल करना चाहिये।

सामयिकी

कल सिख दंगो के आरोपी बडे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास का दंड घोषित किया गया है। इस घोषणा की कुछ विशेष समीक्षा की आवश्यकता है। मैंने अपने जीवन में दो घटनाएं ऐसी देखी है जो भावनात्मक तथा परिस्थिति के उबाल के कारण गंभीर हत्या कांडो में बदल गई। पहली घटना थी इंदिरा गांधी हत्या के परिणाम स्वरूप उपजी सिख हत्या कांड तथा दूसरी घटना गुजरात में कार सेवकों की हत्या से उपजी मुसलमान हत्या कांड से जुडी रही है। दोनों हत्या कांड भावनात्मक परिस्थिति जन्या थे तथा राजनैतिक सत्ता की अप्रत्यक्ष सहायता से घटित हुये थे। दोनों ही हत्या कांडो में जगन्य अपराध हुये थे जिसमें अपराधियों ने जानबूझकर बडी संख्या में निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं की। दोनों में ही अनेक समानताएं दिखी।

1. पंजाब के सिख हत्याकांड में बडे–बडे राजनेताओं की संलिप्तता रही जिनके इशारे पर हत्याकांड हुआ। जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक हत्या में शामिल लोग बचते चले गये ओर सरकार बदलने के बाद कानून ने अपना काम शुरू किया। गुजरात में भी यही हुआ। जब तक केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रही तब तक बडे राजनेताओं को दंडित कराने के प्रयास चलते रहे। और सरकार बदलने के बाद ऐसे लोग निर्दोष सिद्ध हो गये। आभाष होता है कि अपराधियों के दंडित होने और छूटने में न्यायपालिका के साथ–साथ प्रशासन की भी भूमिका रहती है।
2. दोनों ही हत्याकांड परिस्थितिजन्य थे स्वार्थ प्रेरित नहीं। योजनानुसार भी नहीं। पंजाब में सिख समुदाय के कुछ लोग पूरे भारत को अपनी साम्प्रदायिक सोच के कारण परेशान कर रहे थे। संपूर्ण समाज परेशानी को अनुभव कर रहा था और इंदरा गांधी की हत्या ने उस अनुभव को विस्फोट का स्वरूप दे दिया जिसमें अनेक निर्दोष मारे गये। ऐसा ही कुछ गुजरात में भी हुआ। कुछ मुठ्ठी भर मुसलमानों ने सारे देश को साम्प्रदायिक आधार पर ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप गुजरात की आपराधिक घटना घटी और बडी संख्या में मुसलमान मारे गये। मुसलमानों के मरने का लाभ कांग्रेस पार्टी ने उठाने का प्रयास किया। सिखों के मारे जाने का राजनैतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाने का प्रयास किया।
3. यह सही है कि निर्दोष लोग मारे गये और यह आपराधिक कृत्य था जिसका आपराधियों को दंड मिलना चाहिए। न्यायपालिका अपना काम ईमानदारी से कर रही है। भले ही विधायिका समय–समय पर ऐसी घटनाओं का राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास करे। किन्तु इन सबके बाद भी एक प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि क्या इस प्रकार के दंड ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर प्रभाव डालेगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। जब तक कोई साम्प्रदायिक समूह मुठ्ठी भर उग्रवादियों आंतकवादियों की साम्प्रदायिक घटनाओं के विरूद्ध स्वयं सामने आकर शेष जनमत को विश्वास नहीं दिलाता कि वह ऐसी आंतकवादी घटनाओं के पक्ष में नही है तब तक ऐसी घटनाएं फिर भी होगी और यह घटनाएं किसी भी सम्प्रदाय के साथ हो सकती है चाहे हिन्दू ही क्यों न हो। किसी सम्प्रदाय के मुठ्ठी भर लोग पूरे देश भर ब्लैकमेल करे और उस सम्प्रदाय के लोग चुप रहे या उसका साथ दें तो इस प्रकार के नरसंहार स्वाभाविक हो जाते है जैसे पंजाब व गुजरात में हुये। अपराधियों को दंड होना चाहिये यह सही है। किन्तु साथ ही संबंधित सम्प्रदायों को भी ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के दंड घटनाओं के पुनः न होने की गारंटी नहीं है। राजनैतिक दलों को भी ऐसे मामलों में सतर्क प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

सामयिकी

मेरा पचास वर्षो से यह अनुभव रहा है कि भारत का आम हिन्दू नरम हिन्दूत्व का पक्षधर है। यदि अल्पकाल के लिये वह भावना में बह भी जावे तो देर तक टिका नहीं रहता। हिन्दू महासभा की जगह संघ के नरम हिन्दुत्व में भी और संघ की जगह गांधी के नरम हिन्दुत्व मे भी कई दशक तक कांग्रेस नरम हिन्दुत्व के आधार पर जन समर्थन बढता गया। कई शासन में रही और उसने नरम हिन्दुत्व की जगह मुस्लिम तृष्टिकरण का मार्ग नहीं अपनाया होता तो अब भी वह शासन में रहती। शिवसेना ने उग्र हिन्दुत्व का मार्ग अपनाया किन्तु अब वह पतन की ओर अग्रसर है।

नरेन्द्र मोदी ने बिल्कुल ठीक रास्ते पर चलकर नरम हिन्दुत्व का मार्ग अपनाया और लगातार आगे बढे किन्तु पता नहीं किस के दबाव में नरेन्द्र मोदी को सुब्रमण्यम स्वामी, योगी आदित्य नाथ सरीखे उग्र हिन्दुत्व के साथ तालमेल बिठाना पडा। एक ओर तो भाजपा उग्र हिन्दुत्व की तरफ बढने लगी तो दूसरी और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की पुरानी लीक छोडकर नरम हिन्दुत्व की और तेज गति से चलना शुरू कर दिया। एक वर्ष में ही परिणाम दिखा कि योगी को वाहवाही तो खूब मिली पर जन समर्थन घटता चला गया। योगी जी ने उग्र हिन्दुत्व की ओर जितनी तेज दौड़ लगायी उतनी ही तेज गति से विपक्ष

का ग्राफ बढता चला गया। मैं नहीं कह सकता कि तीन प्रदेशों में भाजपा की हार का यही एकमात्र कारण है किन्तु मेरे विचार में इस हार के महत्वपूर्ण कारणों में यह कारण भी एक है।

बुक्कल नवाब ने हनुमान को यदि मुसलमान कह दिया तो हिन्दुओं का क्या बिगड़ गया। वास्तव में मुसलमान का बिगड़ा कि एक मुसलमान हनुमान को भी अपना मान रहा है। यदि भारत के मुसलमान राम और कृष्ण को भी मुसलमान मान ले तो हिन्दुओं का क्या बिगड जायेगा। नसीरूद्दीन शाह ने अपने मन की पीडा व्यक्त कर दी तो कौन सा बडा अपराध हो गया कि सब काम छोडकर उसके पीछे पडा जाये। जिस तरह उत्तर प्रदेश में उग्र हिन्दुत्व का खतरनाक प्रयोग हो रहा है उससे देश भर के मुसलमानों का भयभीत होना स्वाभाविक है अभी भी समय है कि हिन्दुत्व को इस्लाम के मार्ग पर बढने से रूकना चाहियें अन्यथा पूरी ईमानदारी, मेहनत और योजना पर आगे बढने के बाद भी मोदी के लिये विपक्ष खतरा बन सकता है।

प्रश्नोत्तर

प्रश्न–1. आप संघ के कार्य को ठीक मानते है या गलत?

उत्तर– संघ हिन्दुओं का रक्षक मात्र है स्वतंत्र विचारधारा नहीं। रक्षक यदि विचारो में भी हस्तक्षेप करता है तो घातक होता है। स्वतंत्रता के बाद राजनैतिक व्यवस्था ने हिन्दुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा जिसके विरूद्ध संघ ने निरन्तर अलख जगाई इसलिए संघ बधाई का पात्र है। अब यदि संघ राजनैतिक व्यवस्था पर दबाव बनाकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है तो इसका विरोध स्वाभाविक है। यह सही है कि परिस्थितियों ने विपक्ष को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को छोडकर नरम हिन्दुत्व की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया है किन्तु हिन्दू और मुसलमान की प्राकृतिक सोच में बहुत अंतर है। मुसलमान आसानी से कट्टरता की ओर झुक जाता है और हिन्दू आसानी से कट्टरता के विरूद्ध हो जाता है। संघ इस प्राकृतिक अंतर को नहीं बदल सकेगा यह उसे स्वीकार करना चाहिए।

प्रश्न–2 आपके अनुसार अगले चुनाव में नरेन्द्र मोदी का भविष्य क्या दिखता है।

उत्तर– एक वर्ष पूर्व तक स्पष्ट दिखता था कि नरेन्द्र मोदी की कोई टक्कर नहीं होगी और वो दशकों तक प्रधानमंत्री बने रहेगे। क्योंकि उस समय तक नरेन्द्र मोदी भाजपा में तानाशाह के समान थे। पिछले एक वर्ष से संघ ने उनकी स्थिति को कमजोर किया है और अब भाजपा में नरेन्द्र मोदी शाह जोडी का भय कम हो गया है। एक सिद्धान्त भी है कि यदि उग्रवादी तत्व हावी हो जाते है तो असफलता निश्चित है। एक वर्ष से संघ भाजपा पर सवार हो गया है और नरेन्द्र मोदी का भविष्य अनिश्चित हो गया है अब नरेन्द्र मोदी न तो संघ को नाराज कर सकते है न ही उनको प्रसन्न कर सकते है। उग्रवादी प्रसन्न तो कभी हो ही नहीं सकते और नाराज करने का अब समय नहीं है क्योंकि उग्रवादी तत्वों का कोई सिद्धान्त नहीं होता। यदि मोदी थोडा भी मजबूती दिखायेगे तो संघ कांग्रेस से भी हाथ मिला सकता है। इसलिए कोई निशिचित समीक्षा करना ठीक नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि नरेन्द्र मोदी ने बहुत ही अधिक ईमानदारी से अच्छा काम किया है। चुनाव हारना जीतना अलग की बात है। बुद्धदेव भट्टाचार्य और गोरवाचोव ने भी अच्छे कामों का परिणाम देख लिया है। शेर की सवारी हमेशा अच्छे परिणाम नहीं देती ।

सामयिकी

सोहराबुद्दीन हत्या मुकदमें से न्यायालय ने सभी बाइस अपराधियों को निर्दोष घोषित किसा है। यह प्रकरण तेरह वर्षो से न्यायालय में लंबित था। इस संबंध में पिछले दस वर्षो में मैने ज्ञान तत्व में कई बार लेख लिखे है और सोहराबुददीन हत्या को गैरकानूनी किन्तु समाज हित में बताया था।

घटना इस तरह की है कि सोहराबुद्दीन एक खुंखार अपराधी था जिसने बडी संख्या में हत्याओं और आर्थिक ब्लैकमेलिंग की। वह लगातार न्यायालय से निर्दोष सिद्ध होता गया और आंतक का पर्याय बन गया था। पुलिस विभाग के लोगो ने कुछ राजनैतिक संरक्षण प्राप्त करके सोहराबुददीन को पकडकर उसे मार डाला। सोहराबुद्दीन हत्या में गवाह होने के संदेह में बाद में तुलसी प्रजापति और सोहराबुददीन की पत्नी की भी उसी तरह गैरकानूनी रूप से हत्या कर दी गयी। स्पष्ट है कि ये तीनों हत्याये फर्जी थी। हत्या में शामिल बाइस लोग न्यायालय द्वारा निर्दोष घोषित कर दिये गये। मेरे विचार में जिन लोगों ने सोहराबुददीन तथा उसके सहायकों की फर्जी मुठभेड़ बताकर हत्या की उन्हें जनहित में छूट जाना ही अच्छा हुआ क्योंकि किसी वास्तविक अपराधी को गैरकानूनी तरीके से मार देना गैरकानूनी कार्य होता है, अपराध नहीं। किसी अपराध में अपराधी की नीयत का महत्व होता है और हत्या करने वाले पुलिसवाले अथवा राजनेताओं की नीयत खराब नहीं थी, भले ही उन्होंने गैरकानूनी तरीके से हत्या का सहारा लिया। जो लोग इनकी रिहाई के विरूद्ध है उन्हें विचार करना चाहिए कि जिस भारतीय न्यायिक व्यवस्था को धोखा देकर सोहराबुद्दीन लम्बे समय तक बचता रहा उसी भारतीय न्याय व्यवस्था को धोखा देकर यदि पुलिस वाले बच गये तो इसमें गलत तो कुछ है ही नहीं बल्कि इसके लिए प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। यह प्रकरण यह आवश्यकता महसूस कराता है कि न्याय और कानून के बीच गंभीर दूरी बढ गई है। इस दूरी को पाटने के लिये न्याय की समीक्षा नहीं हो सकती बल्कि कानून की समीक्षा हो सकती है। न्यायपालिका, विधायिका को कानून की समीक्षा करनी चाहिये। जिन निर्दोष पुलिस वालों को लम्बे समय तक यातनायें भोगनी पडी है उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत किया जाना चाहिये।

प्रश्नोत्तर

प्रश्न–1 क्या पुलिस को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह जनहित में किसी अपराधी को गैरकानूनी तरीके से मार दे?

उत्तर–यह अधिकार यदि नहीं दिया हुआ है तो समाज का कर्त्तव्य है कि समाज ऐसे पुलिस वालों को प्रोत्साहित करें। मैं मानता हूॅ कि न्यायपालिका और संवैधानिक व्यवस्था इस प्रकार की कोई छूट न दे सकती है न देना चाहिये किन्तु न्यायपालिका और विधायिका का यह कर्त्तव्य अवश्य है कि यदि आमतौर पर कानूनी दाव पेच का फायदा उठाकर अपराधी न्यायालय से छूट जा रहे है तो ऐसे कानून में सुधार किया जायें। समाज को न्याय चाहिये। वह कानून सम्मत तरीकों से मिले तो अच्छा है। अगर न्याय ही न मिले तो कानून समाज की प्राथमिक आवश्यकता नहीं है। सोहराबुददीन की हत्या करके पुलिस वाले ने कोई अपराध नहीं किया।

सत्यपाल शर्मा, बरेली, उत्तर प्रदेश

भगवान अयप्पा के सबरीमाला मंदिर में एक विशेष आयु की महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया कि मासिक धर्म की आड़ लेकर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना भारतीय संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। 28.09.18 को सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की खण्डपीठ के चार न्यायाधीशों ने मंदिर में प्रवेश पर रोक को असंवैधानिक बताकर 10 से 50 वर्षीय महिलाओं को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति देने से मंदिर की पवित्रता तथा धार्मिक आस्था वाले तथा आधुनिक विचारधारा वालों में टकराव प्रारम्भ हो गया है। जिसके फलस्वरूप बडी संख्या में विरोध करने वालो की गिरफ्तारी तथा मुकदमे हो रहे है। न्यायालय की भी मर्यादायें और सीमायें होनी चाहिए। परिवार और धार्मिक मामलों में न्यायालयों के अनावश्यक हस्तक्षेप से परिवार और समाज में कटुता वैमनस्य बढ रहा है। सच्चाई तो यह है कि राजनेताओं और धनी शक्तिशाली पर कोई कानून प्रभावी नहीं है। देश में कानून इतना जटिल और दुरूह है कि सामान्य व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है। वोट बैंक की राजनीति हावी है। इन्साफ कानून की किताबों तक सीमित है। आपके विचार की प्रतीक्षा है।

उत्तर– मैं आपसे सहमत हूॅ कि राजनेताओं और धनी शक्तिशाली पर कोई कानून प्रभावी नहीं है। देश में कानून इतना जटिल और दुरूह है कि सामान्य व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है। वोट बैंक की राजनीति हावी है। इन्साफ कानून की किताबों तक सीमित है। फिर भी मेरे विचार में यह प्रश्न विचारणीय है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किस तरह होनी चाहिए। सबरीमाला मंदिर में किसी व्यक्ति को जाने से रोकना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लघंन है या नहीं। मेरे विचार में यदि कोई स्थान सार्वजनिक है तो उसके सार्वजनिक उपयोग से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। किन्तु यदि कोई स्थान किसी समूह के स्वामित्व का है तब उस स्थान के लिए नियम कानून बनाने का अंतिम अधिकार उस समूह का है। सबरीमाला मंदिर हिन्दुओं का है और मंदिर के आसपास के हिन्दू इस संबंध में जो भी नियम बनाते है उस नियम को अंतिम माना जाना चाहिए। नियम बनाने में किसी भी हिन्दू को जो मंदिर पर विश्वास करते है उसे वंचित नहीं किया जा सकता चाहे महिला हो या पुरूष। बने हुये नियम को तोडने का अधिकार किसी हिन्दू को भी नहीं है। अन्य समुदायों के लोगों को तो है ही सही। अब तक की जानकारी के अनुसार सबरीमाला मंदिर सार्वजनिक न होकर हिन्दुओ का मंदिर है इसलिए न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। जो हिन्दू उन नियम कानूनों से भिन्न मत रखते है और बहुमत में नहीं है वे अपना कोई अलग सबरीमाला मंदिर बनाने के लिए स्वतंत्र है। मेरा यह मत है कि न्यायलाय को तब तक ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लघंन नही होता।

उत्तरार्ध

आमंत्रणः–

राष्ट्रीय सम्मेलन दो व तीन फरवरी 2019

प्रिय बंधु

अब तक हम लोग कौशाम्बी कार्यालय से सारा कार्य संचालित करते रहे हैं। वहीं से ज्ञान यज्ञ तथा ग्राम संसद अभियान की योजना का देशभर में विस्तार होता रहा है। अब नई योजना के अंतर्गत कौशाम्बी कार्यालय से ग्राम संसद अभियान संचालित हो रहा है जिसके मुख्य संचालक श्री ओम प्रकाश दूबे जी हैं तथा जनसंसद अभियान भी वहीं से संचालित हो रहा है जिसके मुख्य संचालक श्री रामवीर श्रेष्ठ जी हैं। ज्ञान यज्ञ का संचालन ऋषिकेश कार्यालय से हो रहा है जिसके मुख्य संचालक श्री अभ्युदय द्विवेदी जी है। ऋषिकेश कार्यालय से ही बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान का भी संचालन हो रहा है जिसके महानिदेशक आचार्य पंकज जी हैं। विस्तृत विवरण ज्ञान तत्व में जा चुका है। इन चारों विषयों पर संयुक्त चर्चा के लिए 2 और 3 फरवरी 2019 को देशभर के महत्वपूर्ण साथियों एवं सहयोगियों का सम्मलेन आयोजित

है। इस सम्मेलन में अलग–अलग तथा सामूहिक रूप में भी सक्रियता की तथा भविष्य की योजनाएं बनेंगी। 2 तारीख को सभी विषयों पर अलग–अलग चर्चा होगी तथा 3 तारीख को भविष्य की योजनाएं बनेगी।

31 अगस्त 2019 से 14 सितम्बर 2019 यानी (भाद्र पद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णमासी) तक पंद्रह दिनों का सामूहिक ज्ञान यज्ञ ऋषिकेश में रखा जा रहा है। इसकी पूर्णाहुति पंद्रह सितम्बर को दोपहर होगी। इस पंद्रह दिवसीय कार्यक्रम की योजना भी इस सम्मेलन में बनेगी। आपसे निवेदन है कि आप इस सम्मेलन में अवश्य आईये। अन्य साथियों को भी ला सकते है।

कार्यक्रम दिनॉकः 2 और 3 फरवरी 2019
कार्यक्रम स्थलः सामुदायिक भवन, पार्क प्लाजा होटल के पीछे, नोएडा सैक्टर–55, उत्तर प्रदेश

नोटः–भोजन एवं आवास की व्यवस्था रहेगी।

निवेदक
बजरंग मुनि
चलभाषः 9617079344

कार्यालय दिल्लीः फ्लैट नंबर 303 सिप्रा कृष्णा एज्योर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
कार्यालय ऋषिकेशः 104/19, देहरादून रोड, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड पिन कोड 249201
कार्यालय दूरभाष नंबर–8826290511, 9821012002